अनुदान संख्या 28 – व्यय विभाग
GRANT No. 28 - DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	400,55,00	442,88,00	413,72,96	-29,15,04
पूरक	Supplementary	42,33,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,17,61

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹2915.04 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹4233.00 लाख के पूरक अनुदान का 69 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹2915.04 lakhs) constituted 69 percent of the supplementary grants of ₹4233.00 lakhs obtained in March, 2020 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	13554.00	13081.19	12898.14	-183.05
पु.	R.	-472.81			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	21000.00			
पू.	S.	4232.00	23948.75	23440.68	-508.07
पु.	R.	-1283.25			

(I) ₹13.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹13.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली" – ₹21000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4232.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹25232.00 लाख कर दिया गया जो, विभिन्न राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिटों में नवीकरण कार्य में विलंब बिलों के प्राप्त न होने, कोविड–19 के कारण विक्रेताओं द्वारा हार्डवेयर सरवरों की आपूर्ति न किए जाने के कारण ₹1791.32 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - Public Financial Management System" - the original provision of ₹21000.00 lakhs was augmented to ₹25232.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4232.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1791.32 lakhs - due to delay in renovation works at different State Project Management Units, non-receipt of bills and non-supply of hardware servers by the vendors owing to COVID-19.

2. मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – व्यय विभाग" – के अंतर्गत ₹655.86 लाख की बचत (₹13554.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, टीए/डीए, ट्यूशन फीस दावे कम प्राप्त होने, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर के अधिप्राप्ति प्रस्तावों और 158 आईटी व्यावसायिकों को लेने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

2. Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Expenditure" - saving of ₹655.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13554.00 lakhs) was due to less leave travel concession, TA/DA, tuition fees claims, non-finalisation of procurement proposals of computer, software and hiring of 158 IT professionals.